कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1372 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 8 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.540 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/17945/2015)

सन्दर्भ :– आपकी पत्र सं0 181/X-3-21/1(71)/2019 दिनांक 22–02–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 690/12–1(2) दिनांक 13–08–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 750/12–1(2) दिनांक 19–09–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र० सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाध्किारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः–	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.08 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम खोली, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे	(क) प्रभागीय वनाण्किारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.08 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम खोली में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाएगा जिससे प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.08 है0 ग्राम खोली सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 487/छब्बीस–12 वन/2020–21 दिनांक 03.04.2021 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। **(संलग्नक–1)**
	(घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(घ) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक– 2)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाध्किारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) रु0 10,38,527.00 (दस लाख अड़तीस हजार पॉच सौ सताईस) मात्र SBIN721035260373 दिनांक 30-07-2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक –3)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02..2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.54 है०	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 10,11,780.00 (दस लाख ग्यारह हजार सात सौ अस्सी) UTR No. SBIN721035260373 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जमा की गयी है। **(संलग्नक–3 के अनुसार)**

	वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बकी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धि बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है (संलग्नक–4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 98 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन में 98 जतममे से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	It is seen that 1 ha area of CA is in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection report to this office and also upload the revise CA area digital map & Sol toposheet in online portal.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित 3.08 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम खोली में 1100 पौध प्रति है0 रोपण कार्य किया जा सकता है। (संलग्नक–5)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोप प्रवन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किया गया है।
9	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी ।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)

	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। एफ0आर0ए0 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–6)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों का संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–7)**
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा के क्रम में पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके

	लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward bearings अंकित हो ।	निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्घन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त

	निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल http://parivesh.nic.in पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1372 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।
2– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
4– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 1104 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 12 / 9 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से रंगथरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/17945/2015)**

सन्दर्भ:– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 783/x-4-16/1(222)/2016 दिनांक 21.जुलाई.2016।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद बागेश्वर में **जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से रंगथरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.1 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.10 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 04,83,634.20 मात्र (रू0 चार लाख तिरासी हजार छः सौ चौतीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 617082059019 Dtd 23.03.2017 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.10 है0 ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 27/छब्बीस– वन/2016–17 दिनांक 29.10.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।**(संलग्नकः–02)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु 6,90,624 मात्र (रू0 छः लाख नब्बे हजार छः सौ चौबीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 617082059019 Dtd 23.03.2017 द्वारा किया जा चुका है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा रू0 6,89,850.00 मात्र (रू0 छः लाख नवासी हजार आठ सौ पचास मात्र) जमा की जा चुकी है **(सलग्न 01 के अनुसार)**।
4	पयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)**(संलग्न–3)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0

	रिट पिटीशन (सिविल) 202/195 के र्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार सख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों की धनाराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय,कार्पोरेशन बैंक ऑनलाइन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑनलाइन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि SBINR 52017110900008058 Dtd 10.11.2017 द्वारा रू0 18,64,108.20 मात्र (रू0 आठ लाख चौसठ हजार एक सौ आठ मात्र) जमा की जा चुकी है **(संलग्न 01 के अनुसार)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिको के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिको के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	बिन्दु संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	बिन्दु संख्या 09 हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।

<u>संलग्न–चार प्रतियों में</u>

भवदीय,

(धुव सिंह मर्तोलिय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर